संख्या– /2016/19/IX/2015

प्रेषक,

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड , देहरादून।

परिवहन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय– उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा नयी बसों के क्रय हेतु हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा 590 नयी बसों के क्रय करने हेतु हुडको या अन्य वित्तीय संस्थाओं से रू0 100.30 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में लिये जाने पर ऋण पर प्रतिवर्ष (पांच वर्ष तक) देय ब्याज की धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त धनराशि का उपयोग उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्था से एम0ओ0यू0 करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पूर्ण रूप से सुसज्जित बसें ही मान्यता प्राप्त अधिकृत फर्म/फर्मों से क्रय किया जाय।

(iv) ऋण अदायगी का समयान्तर्गत भुगतान किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम का होगा।

(v) उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा बस क्रय हेतु लिये जाने वाले ऋण के किश्तों का स्वयं भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा केवल ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(vi) निगम द्वारा नयी बसों का क्रय मान्यता प्राप्त अधिकृत फर्मों से ही किया जायेगा। बसों के क्रय की सूचना राज्य सरकार को मय बीजकों के साथ देना अनिवार्य होगा।

(vii) बस क्रय हेतु चयनित अधिकृत फर्म एवं निगम के मध्य बस क्रय हेतु MOU का अंतिम निर्धारण से पूर्व MOU पर राज्य सरकार का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(viii) राज्य सरकार द्वारा बसों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10.00 करोड़ अथवा वास्तविक ऋण, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(IX) प्रश्नगत ब्याज की प्रतिपूर्ति केवल पांच वर्षों के लिए ही राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

(X) ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति/मांग निगम द्वारा शासन से देय तिथि से तीन माह पूर्व प्रस्तुत की जानी होगी। मांग में कुल ऋण, भुगतान की गयी धनराशि, देय ब्याज आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(XI) प्रश्नगत ब्याज से संबंधित लेखा–जोखा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा भी रखा जायेगा, तथा ऋण की प्रर्तिपूर्ति की समीक्षा भी उनके द्वारा की जायेगी।

(XII) ब्याज के आहरण की सूचना उक्त महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को यथासमय शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक सहित सूचित करते हुए भेजेंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1126/XXVII(2)/2015 दिनांक 24 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्या– 57 (1)/2016/19/IX/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस–ब–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
6– वित्त नियत्रंक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
8– बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।